भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. **50**57

23.03.2026 को उत्तर के लए

मानव-वन्यजीव संघर्ष के लए एसओपी

5057. श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री वजयकुमार उर्फ वजय वसंत :

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, निशेष रूप से हा थयों से संबं धत मौतों का आकलन कया है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने और इसके प्रबंधन के लए राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानक संचालन प्र क्रया (एसओपी) जारी की गई है और यदि हाँ, तो इसकी कार्यान्वयन स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन, राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं के कारण आवासीय क्षेत्रों का वखंडन वन्यजीवों के मानव बस्तियों में आने का मुख्य कारण माना गया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में कए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संवेदनशील राज्यों में हाथी बचाव केन्द्र स्था पत करने और प्र श क्षत त्वरित प्रति क्रया टीमें बनाने का वचार है और यदि हाँ, तो इसकी समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वन्यजीव हमलों के शकार हुए व्यक्तियों के लए मुआवजा तंत्र अलग-अलग राज्यों में काफी भन्न है, यदि हाँ, तो क्या समान राष्ट्रीय दिशा-निर्देश प्रस्ता वत कए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या हाथी कॉरिडोरों की सुरक्षा और प्राकृतिक आवासों के पुनर्स्थापन के लए सम र्पत धनरा श आवंटित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह**)**

(क**)** से **(**च**)** वन्यजीवों का प्रबंधन, जिसमें मानव-पशु संघर्षों को कम करना भी शा मल है, मुख्य रूप से संबं धत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। कसी भी संघर्ष की स्थिति में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही सबसे पहले प्रति क्रया देने वाले होते हैं, और वे संघर्ष के ववरण के साथ-साथ उसमें शा मल प्रजातियों का भी रिकॉर्ड रखते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्न ल खत हैं:

i. मंत्रालय ने 6 फरवरी, 2021 को मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के संबंध में एक परामर्शीका जारी कया है। मंत्रालय ने 3 जून, 2022 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लए मानव-वन्यजीव संघर्ष (फसलों को होने वाले नुकसान सहित) के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश भी जारी कए हैं। इस परामर्श में व भन्न वभागों के बीच समन्वित कार्रवाई, संघर्ष के 'हॉटस्पॉट' (संवेदनशील क्षेत्रों) की पहचान, मानक संचालन प्र क्रयाओं का पालन, त्वरित प्रति क्रया टीमों का गठन, तथा अनुग्रह रा श की मात्रा की समीक्षा और उसके त्वरित भुगतान के लए राज्य एवं जिला स्तर पर स मतियों का गठन करने की सफारिश की गई है।

ii. मंत्रालय ने 21 मार्च, 2023 को मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लए 'सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व' का दृष्टिकोण अपनाते हुए, हाथी, गौर, तेंदुआ, साँप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक (बंदर), जंगली सूअर, भालू, नीलगाय और कृष्णमृग (ब्लैकबक) जैसी प्रजातियों से जुड़े संघर्षों को कम करने हेतु व शष्ट दिशानिर्देश जारी कए हैं। मंत्रालय ने मी डया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के कार्यों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, तथा संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने जैसे व्यापक मुद्दों पर भी दिशानिर्देश जारी कए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा 'मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन' पर अ ग्रम पंक्ति के कर्मचारियों (फ्रंट लाईन स्टाफ) के लए एक 'फील्ड मैनुअल' भी जारी कया गया है। मंत्रालय ने वन्यजीवों पर 'रेखीय बुनियादी ढांचों' के प्रभावों को कम करने हेतु पर्यावरण-अनुकूल उपायों पर भी दिशानिर्देश जारी कए हैं।

iii. 'वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972' में संशोधन कया गया है, ता क संर क्षत क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान कया जा सके; इसके तहत संबं धत ग्राम सभाओं के साथ परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया है।

iv. 'वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972' की धारा 11 (1) (क) के तहत, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को यह अ धकार दिया गया है क वे अ धनियम की 'अनुसूची ।' में सूचीबद्ध उन जानवरों के शकार के लए अनुमति प्रदान कर सकें, जो मानव जीवन के लए खतरनाक बन गए हों। इसके अलावा, अ धनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या कसी भी अ धकृत अ धकारी को अ धनियम की अनुसूची-॥ के अंतर्गत आने वाले जंगली जानवरों के शकार के लए पर मट देने का अ धकार देती है, यदि ऐसे जानवर मानव जीवन या संप त्त के लए खतरनाक हो गए हों।

v. जंगली जानवरों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लए, वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में संर क्षत क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिज़र्व और सामुदायिक रिज़र्व शा मल हैं, जो महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों को कवर करते हैं।

vi. मंत्रालय, देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का वकास' और 'बाघ और हाथी परियोजनाओं' के तहत राज्य सरकारों और

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है। सम र्थत गति व धयों में प्रारं भक चेतावनी प्रणा लयों की खरीद; जंगली जानवरों को फसल के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लए भौतिक अवरोधों (जैसे कांटेदार तार की बाड़, सौर-ऊर्जा संचा लत बिजली की बाड़, बायो-फें संग, सीमा की दीवारें आदि) का निर्माण और स्थापना; तथा जंगली जानवरों द्वारा कए गए नुकसान (जिसमें मवे शयों को उठा ले जाना, फसल को नुकसान, जान और माल की हानि शा मल है) के लए मुआवज़ा देना शा मल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लए त्वरित प्रति क्रया दल भी तैनात कए जाते हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में मंत्रालय ने इन योजनाओं के तहत, जंगली जानवरों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में दी जाने वाली अनुग्रह रा श को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया। यह रा श नि धयों की उपलब्धता के अधीन है, और इसका भुगतान इस संबंध में बनाए गए राज्य- व शष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा भी नियंत्रित होता है।

ववरण नीचे दी गई ता लका में दिया गया है:

क्र. सं.	जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की प्रकृति	अनुग्रह राहत रा श
i. ii. iii.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता गंभीर चोट मामूली चोट	10.00 लाख रुपये 2.00 लाख रुपये इलाज का खर्च प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक
iv.	संप त्त/फसलों का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उनके द्वारा तय कए गए लागत मानक का पालन कर सकती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण पशुधन, फसलों और मानव जीवन के नुकसान (चोटों सहित) के लए, निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुग्रह रा श का भुगतान करते हैं; ये मानदंड अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।

vii. मंत्रालय, 'वन्यजीव पर्यावासों का वकास' नामक केंद्र प्रायोजित योजना के 'प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' घटक के तहत, 24 पहचान की गई 'अत्यंत संकटग्रस्त' प्रजातियों के संरक्षण पर भी वशेष ध्यान देता है। इन प्रजातियों में शा मल हैं: हिम तेंदुआ, ग्रेट इं डयन बस्टर्ड (फ्लोरिकन सहित), डॉल्फिन, हंगुल, नील गरि तहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, ए डबल नेस्ट स्विफ्टलेट, ए शयाई जंगली भैंसा, निकोबार मेगापोड, म णपुर ब्रो-एंटलर्ड हिरण, गद्ध, मालाबार सवेट, भारतीय गैंडा, ए शयाई शेर, बारह संगा, जर्डन का कर्सर, उत्तरी नदी टेरा पन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरब सागर हंपबैक व्हेल, रेड पांडा, कैराकल, घ ड़याल और स्लॉथ बीयर।

viii. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लए रे डयो कॉलरिंग, डजिटल सेंसर दीवारें और ई-निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग कया जाता है।

ix. मंत्रालय, राज्य सरकारों को मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जागरूकता पैदा करने, प्र शक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता प्रदान करता है। राज्य वन वभाग, स्थानीय लोगों के साथ मलकर काम करते हैं ता क मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों को हल कया जा सके; इसके लए वे समय-समय पर जागरूकता अ भयान चलाते हैं, आम जनता को मानव-पशु संघर्ष के बारे में संवेदनशील बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं, जिसमें व भन्न प्रकार के मी डया के माध्यम से जानकारी का प्रसार भी शा मल है। इसके अलावा, राज्य वन वभाग कुछ वन्यजीव प्रजातियों की गति व धयों पर नज़र रखने के लए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ते हैं, और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, तथा मानव जीवन, संप त्त और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान या क्षति को रोकने के लए सचेत करते हैं। मंत्रालय ने सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबटूर स्थित डब्ल्यूआईआई-द क्षण भारत केंद्र में 'मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लए उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना की पहल भी की है।

x. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्रा धकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 की धारा 38O (1) (छ) के अनुसार, देश में 32 प्रमुख बाघ ग लयारों (टाईगर कॉरीडोर) की पहचान की है। एनटीसीए के दिशानिर्देश (2012) और मानक संचालन प्र क्रयाएं (एसओपी) बाघ और उनके पर्यावास के प्रबंधन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसी तरह, मंत्रालय ने वर्ष 2023 में देश में 150 हाथी ग लयारों की भी पहचान की है। मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ मलकर, आपस में जुड़े हुए भू-परिदृश्यों में हा थयों के दीर्घका लक संरक्षण और प्रबंधन के लए एक 'क्षेत्रीय कार्य योजना' तैयार करता है।
